



**भारत सरकार**  
**Government of India**  
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**  
**Ministry of Environment, Forest & Climate Change**  
**क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ**  
**Regional Office, Lucknow**



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 11<sup>th</sup> Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696  
Email : roc.zlko-mef@nic.in, goimofrolko@gmail.com

पत्र सं० : 8बी/यू०पी०/०६/१८०/२०२३/एफ.सी. 111  
सेवा में,

दिनांक : 27.08.2024

अपर मुख्य सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

**Online Proposal No. FP/UP/ROAD/146875/2021**

**विषय:** सीतापुर-हरदोई (राजमार्ग संख्या-330डी) के किमी० ०.००० से ३८.८५३ तक दो लेन से चार लेन पेब सोल्डर सहित चौड़ीकरण में सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित २८.७०७ हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक १५४९ वृक्षों के पातन तथा हरदोई वन प्रभाग में प्रभावित ८.२८ हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक १२०० वृक्षों के पातन अर्थात् कुल ३६.९८७ हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक २७४९ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक ३२१२/११-सी-FP/UP/ROAD/146875/2021, दिनांक १५.०४.२०२४।  
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी-२४०/८१-२-२०२३-८००(२३९)/२०२३, दिनांक ०४.०९.२०२३ का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, १९८० के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में नोडल अधिकारी के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि इस कार्यालय के सम-संख्यक पत्र दिनांक ०३.०४.२०२४ द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें त्रुटिवश शर्त संख्या ०२ में निम्नलिखित शर्त अधिरोपित की गयी थी :-

- Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of **73.977 ha.** Degraded Forest Land at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided. The details of CA are as follows:-

| S. No.       | Details of CA                                            | CA proposed in Area (Ha) | Name of Forest Division.          |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1.           | Sitapur Forest Division, Range Misrikh, District Sitapur | 57.417 ha.               | Social Forestry Division, Sitapur |
| 2.           | Hardoi Forest Division, Range Ramgarh, District Hardoi   | 16.56 ha.                | Social Forestry Division, Hardoi  |
| <b>Total</b> |                                                          | <b>73.977 ha.</b>        |                                   |

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या ०२ में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

- Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of **73.977 ha.** Degraded Forest Land at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided. The details of CA are as follows:-

| S. No.       | Details of CA                                                                 | CA proposed in Area (Ha) | Name of Forest Division.            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.           | Sitapur Forest Division, Range Misrikh, District Sitapur                      | 57.417 ha.               | Social Forestry Division, Sitapur   |
| 2.           | Mazhai Compartment No. 6, Balaichuwa Ropavani 2022, Ramgadh Range, Sonbhadra. | 16.56 ha.                | Social Forestry Division, Sonbhadra |
| <b>Total</b> |                                                                               | <b>73.977 ha.</b>        |                                     |

सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित शेष सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीया,

(डा० प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

**प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-**

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सीतापुर एवं हरदोई।
4. अधिशासी अभियंता, एन०एच० डिवीजन, लोक निर्माण विभाग, कानपुर।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डा० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}